इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय

शिक्षक कल्याण कोष

नियम एवं विनियम

प्रस्तावना–

भारतीय संविधान में निहित कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के आलोक में इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं उनके परिवार के कल्याणार्थ कटिबद्ध है। अतः इसी श्रृंखला में उनके कल्याणार्थ शिक्षक कल्याण कोष का गठन किया गया है। शिक्षक कल्याण कोष की राशि का उपयोग, शिक्षकों के कल्याण में ही किया जायेगा। कल्याण की दिशा में यह एक अग्रणी कदम है।

1. कोष का नाम 'इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण कोष' होगा (जिसे संक्षेप में शिक्षक कोष कहा जायेगा)
2. विश्वविद्यालय परिसर, सम्बद्ध (अनुदानित/राजकीय), सहयुक्त एवं स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षक निर्धारित सेवाशर्तों के अधीन कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे।
3. कोष के क्रिया–कलापों का संचालन एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका गठन निम्न प्रकार होगा:
    i. कुलपति या उनके द्वारा नामित विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम आचार्य समिति का अध्यक्ष होगा।
    ii. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक अन्य वरिष्ठ आचार्य – सदस्य
    iii. वरिष्ठतम क्रम में सहायताप्राप्त या राजकीय महाविद्यालय का एक प्राचार्य – सदस्य
    iv. कुलपति द्वारा नामित सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय में सेवारत एक वरिष्ठ शिक्षक – सदस्य
    v. कुलपति द्वारा नामित स्ववित्तपोषित महाविद्यालय का एक प्राचार्य या शिक्षक (सम्बन्धित प्राचार्य/शिक्षक का अविच्छिन्न शिक्षण अनुभव 15 वर्ष से कम न हो) – सदस्य

vi. कुलसचिव पदेन सचिव होगें।

vii. विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी समिति का कोषाध्यक्ष/सदस्य होगा जो संदर्भित कोष का रख रखाव करेगा।

viii. क्रम संख्या (i) से (v) तक का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

4. कोष के लाभार्थी निम्न होंगे:

i. सदस्य (सभी शिक्षक)

ii. सदस्यों के पति अथवा पत्नी

उक्त परिभाषित सदस्यों (शिक्षकों) में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 7 वर्ष की निरन्तर सेवा (continuous service) अनिवार्य है।

5. कोष की समस्त धनराशि एक अलग खाते में होगी, जो कि ''इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण कोष'' के नाम से होगा तथा खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा।

6. खाते का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा।

7. इस कोष का उद्देश्य सदस्यों को गम्भीर बीमारी, आपदा तथा क्रम संख्या 4 या क्रम संख्या 4(i) की मृत्यु की दशा में संतप्त पति/पत्नी को सहायता प्रदान करना है।

8. लाभार्थियों को सहायता हेतु उसके लिखित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा। समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात अपनी संस्तुति देगी, जिसे कुलपति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

9. धनराशि/सहायता राशि की मात्रा एवं स्वभाव का निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा, जिस पर कोई भी आपत्ति नहीं उठा सकता कुलपति को छोड़कर जैसा कि क्रम संख्या 10 में वर्णित है।